



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233836
CG-DL-E-03032022-233836

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 892]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2022/ फाल्गुन 11, 1943

No. 892]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2022/PHALGUNA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

का.आ. 922(अ).—जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, SO4199(E) दिनांक: 08.10.2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 ए की उप-धारा (1) के तहत जारी किया गया। (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार ने एनएच 4 के निर्माण (चौड़ाई / चार लेन, आदि), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अधिसूचना से जुड़ी अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा की। कर्नाटक राज्य में चित्रदुर्ग जिले में किमी. 122.3 से किमी. 189.000 (सिरा-चित्रदुर्ग खंड, पैकेज-द्वितीय) तक भूमि के खंड पर;

और जबकि उक्त अधिसूचना का सार "द हिंदू" और "विजय कर्नाटक" दोनों में दिनांक 16.12.2021 में प्रकाशित किया गया है; उक्त अधिनियम की धारा 3ए की उप-धारा (3) के तहत;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में NH4 (सिरा-चित्रदुर्ग खंड, पैकेज- II) से भूमि के खंड में NH4 के भीतर आने वाली, संरचना के साथ या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: चित्रदुर्ग			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: हिरियुर				
	गांव का नाम: ऐमंगला				
1	Khata Number : 385/1	निजी	साइट	0.0062	श्री गुरु करीबसवेश्वर स्वामी ट्रस्ट (खाते नो:385/1 ईश्वरु नो:151000303200120714)
			कुल	0.0062	

[फा. सं. 578/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2022

S.O. 922(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.4199(E) Dated:08.10.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH4 on the stretch of land from Km. 122.3 to Km. 189.000 (Sira-Chitradurga section, Package-II) in the district of CHITRADURGA in the state of KARNATAKA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu” and “Vijaya Karnataka” both dated 16.12.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH4 in the stretch of land from NH4 (National Highways Authority of India, Near Chamundeshwari Temple, KSRTC, Depot Road, Chitradurga) in the district of CHITRADURGA in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA			District: CHITRADURGA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Hiriur				
	Viilage: Aimangala				
1	Khata Number : 385/1	Private	Site	0.0062	Sri Guru Karibasaveshwara Swamy Trust Khat No:385/1 Eswathu No:151000303200120714
			TOTAL	0.0062	

[F. No. 578/3D]

RAJESH GUPTA, Director